फाइल नं0-71-3002/8/2022-03

28/2023/1/281928/2023

प्रेषक,

कुलदीप कुमार रस्तोगी,
संयुक्त सचिव
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

प्रधानाचार्य,
स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय,
देवरिया।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-3 लखनऊ : दिनॉक 28 फरवरी, 2023

विषयः- वित्तीय वर्ष 2022-23 में महर्षि देवरहा बाबा स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, देवरिया में 30 बेडेड ट्रामा सेन्टर, 20 बेडेड बर्न वार्ड एवं 20 बेडेड टाक्सीकोलाजी वार्ड (L-1 CATEGORY) युक्त भवन के निर्माण हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-मे0का0दे0/निर्माण/आगणन/2022-23, दिनॉक 05.08.2022 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि महर्षि देवरहा बाबा स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, देवरिया में 30 बेडेड ट्रामा सेन्टर, 20 बेडेड बर्न वार्ड एवं 20 बेडेड टाक्सीकोलाजी वार्ड (L-1 CATEGORY) युक्त भवन के निर्माण हेतु व्यय वित्त समिति द्वारा आंकलित लागत रू0 2468.63 लाख (जी0एस0टी0 18 प्रतिशत) (रू0 चौबीस करोड़ अड़सठ लाख तिरसठ हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति तथा वित्तीय वर्ष 2022-23 में अनुदान संख्या- 31 के अन्तर्गत पूंजीलेखा पक्ष में 4210-03-105-8906- मेडिकल कालेज, देवरिया हेतु मानक मद-24- वृहद निर्माण कार्य में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष अवशेष धनराशि रू0 4338.71 लाख में से प्रथम किश्त के रूप में रू0 617.16 लाख (रू0 छः करोड़ सत्रह लाख सोलह हजार मात्र) की धनराशि अवमुक्त किये जाने की राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

(1) प्रायोजना में प्रस्तावित यू0पी0एस0, सोलर फोटो वोल्टेक जनरेशन सिस्टम, लैन एवं ई0पी0बी0ए0एक्स0 सिस्टम आदि की लागत को अनुमन्य नहीं किया गया है, परन्तु निर्माण के साथपनासाथ ही इन मदों का क्रय एवं स्था- मितव्यता एवं तकनीकी दृष्टि से किया जाना उचित होगा। प्रधानाचार्य द्वारा सुसंगत वित्तीय नियमों के अधीन इनके क्रय एवं स्थापना का प्रस्ताव पृथक से उपलब्ध कराया जाये।

(2) प्रायोजना प्रस्तावशन उपकरणवित सब स्टेआगणन में प्रस्ता/, लिफ्ट, डी0जी0 सेट, सोलर फोटो वोल्टेक जनरेशन सिस्टम तथा मेडिकल गैस सिस्टम आदि संबंधी कार्यमदों की लागत कोटेशन बाजार दर पर/प्रस्तावित की गयी है। इनके क्रियान्वयन से पूर्व कार्यदायी संस्था इस प्रकार के कार्यो हेतु निर्माताओंर्धा के आधार पर दरें प्राप्तअधिकृत वितरकों से प्रतिस्प/ करें। चूंकि यह प्रोपराइटरी श्रेणी के कार्य हैं एवं इनके शिड्यूल आफ रेट्स उपलब्ध नहीं होते है तथा इनके मेक, माडल एवं स्पेशिफिकेशन के अन्तर से लागत में अन्तर आना स्वाभाविक हे। अत : द्वारा निर्माण के समयकार्यदायी संस्था/प्रधानाचार्य इनका क्रय एवं स्थापना सुसंगत वित्तीय नियमों के आधार पर किया जाये।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(3) प्रायोजनान्तर्गत 12 प्रतिशत की दर से निर्माण लागत पर जी0एस0टी0 की धनराशि प्रस्तावित की गई है। वित्त मंत्रालय भारत सरकार द्वारा निर्गत परिपत्र-177/09/2022 टी0आर0यू0, दिनॉक 03.08.2022 के अनुसार सिविल निर्माण कार्यो पर दिनॉक 18.07.2022 से जी0एस0टी0 की दर पर 12 प्रतिशत से बढ़ाकर 18 प्रतिशत कर दी गयी, जिसके दृष्टिगत प्रभाग द्वारा लागत का आंकलन 18 प्रतिशत की दर से जी0एस0टी0 अनुमन्य कर किया गया है। जी0एस0टी0 की देयता वास्तविकता के अनुसार होगी तथा प्रधानाचार्य द्वारा अपने स्तर से सुनिश्चित किया जाये कि प्रायोजनान्तर्गत विभिन्न कार्यमदों में जी0एस0टी0 सम्मिलित न हो।

(4) प्रधानाचार्यक आवश्य द्वारा नियमानुसार समस्तकार्यदायी संस्था/ वैधानिक अनापत्तियॉ एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करने का उत्तरदायित्व प्रधानाचार्य का होगा।कार्यदायी संस्था/

(5) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यो की मात्राओं एवं विशिष्टियों को यथावत् मानते हुए दरों परीक्षण किया गया है। मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व संबंधित कार्यदायी संस्था/प्रधानाचार्य का होगा।

(6) प्रायोजना का सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जाये।

(7) प्रायोजना आगणन का परीक्षण आगणन में प्रस्तावित विशिष्टियों एवं तद्नुसार प्रस्तावित प्राविधानों को यथावत् मानते हुए किया गया है, जिनमें कोई उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे नये कार्य बढ़ाना, कार्यो के आकार क्षेत्रफल में/वृद्धि तथा उच्च विशिष्टियॉ इस्तेमाल करना इत्यादि व्यय वित्त समिति का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।

(8) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यो की द्विरावृत्ति को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना की (केसीडुप्ली) कृति से पूर्वस्वी प्रधानाचार्य द्वारा यह सुनिश्चित जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजनाकृत है और न वर्तमान में किसीर्गत न तो स्वीकार्यक्रम के अन्त/ अन्य योजनाकार्यक्रम में / दित किया जाना प्रस्तावित है।आच्छा

(9) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-13/2022/बी-1-454/दस-2022-231/2022, दिनांक- 07 जून, 2022 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(10) कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी प्रधानाचार्य एवं कार्यदायी संस्था की होगी।

(11) संबंधित प्रधानाचार्य द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गई है।

(12) प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति जिस कार्य/मद हेतु की जा रही है, उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्य/मद हेतु किया जायेगा।

(13) यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रस्तावित कार्यो की दुरावृत्ति नहीं हो रही है।

(14) अवमुक्त धनराशि का आहरण आवश्यकतानुसार करते हुए व्यय नियमानुसार किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि को डाकघर/बैंक खाते में नही रखा जायेगा।

(15) कार्यदायी संस्था द्वारा आगणन में अनुमोदित सीमा तक ही सेंटेज चार्ज लिया जायेगा।

(16) संबंधित परियोजना के आगणन में वर्णित लेबर सेस की कुल धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 6,17,16,000 (रुपये छः करोड़ सत्रह लाख सोलह हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या- 031 **लेखा शीर्षक** 4210031058906 मेडिकल कालेज देवरिया **मानक मद** 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या ई-3-520-दस/2022-23, दिनांक 25 फरवरी, 2023 में प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय

(कुलदीप कुमार रस्तोगी)
संयुक्त सचिव।

संख्याः- उपरोक्त, तद्यदिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- श्री कुलदीप कुमार रस्तोगी, संयुक्त सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
3- वित्त नियंत्रक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
4- प्रधानाचार्य, राजकीय मेडिकल कालेज, देवरिया।
5- वित्त नियंत्रक, राजकीय मेडिकल कालेज, देवरिया।
6- वरिष्ठ कोषाधिकारी, देवरिया।
7- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0, लखनऊ।
8- नियोजन अनुभाग-4/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
9- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3
10- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(कुलदीप कुमार रस्तोगी)
संयुक्त सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।